राम नाईक
न्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

संख्या : /नि0स0-रापा0 (16)
राज भवन
लखनऊ - 226 027

सरुपा-जी-4056/जी0एस0

दिनांक : 3 अक्टूबर, 2018

संख्या :

आदेश

1. श्री साहब सिंह सैनी वर्ष 2015 में सम्पन्न निर्वाचन में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश का सदस्य निर्वाचित होने के फलस्वरूप वर्तमान में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं ।

2. श्रीमती सुमित्रा सैनी पत्नी श्री साहब सिंह सैनी, निवासी : मकान संख्या 223, गांधी ग्राम, निकट पानी की टंकी, देहरादून, उत्तराखण्ड ने वर्ष 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 16509/2018, श्रीमती सुमित्रा सैनी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं 02 अन्य योजित करके उक्त याचिका में यह कथन किया कि श्रीमती सुमित्रा सैनी का विवाह श्री साहब सिंह सैनी के साथ सम्पन्न हुआ था और वह श्री साहब सिंह सैनी की वैध रूप से विवाहिता एकमात्र पत्नी हैं परन्तु श्री साहब सिंह सैनी ने वर्ष 2015 में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की सदस्यता हेतु निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन प्रपत्रों के साथ जो शपथपत्र प्रस्तुत किया था उसमें इस तथ्य को छुपा लिया था कि श्रीमती सुमित्रा सैनी उनकी विवाहिता पत्नी हैं और उक्त शपथ–पत्र में इस आशय का मिथ्या कथन अंकित किया था कि श्रीमती रीता वासुदेव उनकी विवाहिता पत्नी हैं । मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका में दिनांक 02.07.2018 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया :

"In the meantime, the petitioner may file a proper application before the competent authority for action under Section 125-A of the Act for the prosecution of respondent no. 3 for giving false information. On the admitted facts and circumstances as stated in the petition, respondent no. 3 is prima-facie guilty of second marriage during subsistence of the first marriage. Accordingly, we direct that the information in this regard along with the copy of this order may be placed before the Governor of the State of U.P., as well as the Chief Minister for necessary action at their end with the request to apprise the Court of any action, if any, taken by them in the matter."

3. मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 02.07.2018 की प्रति प्राप्त होने पर मेरे द्वारा दिनांक 23.07.2018 को भारत का संविधान के अनुच्छेद 192 के खण्ड (2) के

राम नाईक
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

संख्या : /नि0स0-रापा0
राज भवन
लखनऊ - 226 027

अन्तर्गत श्री साहब सिंह सैनी का उक्त प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उनके अभिमत के लिए संदर्भित किया गया । भारत निर्वाचन आयोग ने प्रकरण की जॉचोपरान्त अपना अभिमत दिनांकित 14.09.2018 मुझे प्रेषित करते हुए अपना निष्कर्ष निम्नांकित प्रकार अंकित किया है :

"The perusal of Section 125-A of the Representation of People Act, 1951 makes it clear that it is a penal provision which can be brought into motion by any person by filing an F.I.R. with the Police or by filing a complaint under Section 200 read with Section 156(3) of the Code of Criminal Procedure, 1974 with the Magistrate concerned. It is for this reason that the Hon'ble High Court has observed in the order dated 02.07.2018 that : *In the meantime, the petitioner may file a proper application before the competent authority for action under Section 125A of the Act for the prosecution of Respondent No. 3 for giving false information.* It is also pertinent to note that there is no statutory provision which provides for disqualification for filing a false affidavit or for illegally entering into second marriage during the subsistence of the first marriage. However, the Government of Uttar Pradesh may take appropriate action in accordance with law to ensure that the inquiry and proceedings under Section 125A of the Representation of People Act, 1951 reach a conclusion within reasonable time. In view of the above, the Commission hereby opines that Shri Sahab Singh Saini, Member of the Legislative Council of Uttar Pradesh, is not disqualified under any law for being a member of the Legislative Council of Uttar Pradesh."

4. मा0 उच्चतम न्यायालय की पॉच–सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा बृन्दावन नायक प्रति भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, ए.आई.आर. 1965 सुप्रीम कोर्ट 1892 के प्रकरण में भारत का संविधान के अनुच्छेद 192 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 192 के खण्ड (2) के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही जॉच की जा सकती है न कि राज्यपाल द्वारा तथा राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 192 के खण्ड (1) के अन्तर्गत अपना निर्णय अनुच्छेद 192 के खण्ड (2) के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार ही लिया जावेगा । भारत निर्वाचन आयोग के

राम नाईक
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

संख्या : /नि0स0-रापा0

राज भवन
लखनऊ - 226 027

उपरोक्त अभिमत दिनांक 14.09.2018 में निष्कर्ष अंकित किया गया है कि श्री साहब सिंह सैनी विधान परिषद, उत्तर प्रदेश का सदस्य बने रहने के लिए किसी भी विधि के अन्तर्गत निरर्हित (disqualify) किये जाने योग्य नहीं पाये गये हैं ।

5. अतएव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 192 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये उपरोक्त अभिमत को देखते हुए मैं, राम नाईक, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमित्रा सैनी के वर्तमान प्रकरण में भारत का संविधान के अनुच्छेद 192 के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री साहब सिंह सैनी विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के वैध सदस्य बने रहने के योग्य हैं और श्री सैनी उक्त प्रकरण में किसी भी विधि के अन्तर्गत विधान परिषद की सदस्यता से निरर्हित (disqualify) किये जाने के योग्य नहीं हैं ।

(राम नाईक)
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।